न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा जिला- चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी - महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र -107/2023

अनवान

1. पृथ्वीराज पिता श्री लक्ष्मण जाति तैली पेशा काश्त निवासी बड़ोदिया थाना रावतभाटा तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
2. नन्दलाल पिता श्री लक्ष्मण जाति तैली पेशा काश्त निवासी बड़ोदिया थाना रावतभाटा तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
3. गोपाल पिता श्री लक्ष्मण जाति तैली पेशा काश्त निवासी बड़ोदिया थाना रावतभाटा तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।

-वादीगण/प्रार्थीगण

बनाम

1. कंवरलाल पिता रामचन्द्र जाति कन्जर उम्र बालिग निवासी रेनखेडा तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़
2. देवीलाल पिता फुलचन्द जाति कन्जर उम्र बालिग निवासी रेनखेडा तहसील रावतभाटा
3. रामदयाल पिता देवीलाल जाति कन्जर उम्र बालिग निवासरसी रेनखेडा तसहील रावतभाटा
4. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार रावतभाटा जिला चितौडगढ़।

प्रतिवादी/विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित - श्री लालचन्द प्रजापत अभिभाषक प्रार्थी।
1 से 3 एकतरफा कार्यवाही एवं 4 पेरोकार सरकार।

निर्णय

दिनांक 18.09.2024

प्रार्थनापत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगणों ने विपक्षीगण संख्या 01 से 03 के विरूद्ध एक स्थाई निषेधाज्ञा व बेदखली का वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थीगणों को ऐसा विश्वास है कि वह अपने वाद पत्र में अवश्यक सफल होंगे तथा वाद पत्र के निस्तारण में समय लगना संभव है तथा प्रार्थीगणों का मामला प्रथम दृष्टया सुदृढ आधारों पर आधारित होकर सुविधा का संतुलन प्रार्थीगणों के हक में है, इस कारण तत्कालिन अनुतोष की आवश्यकता होने से विपक्षीगण 01 से 03 के विरूद्ध आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थीगणों के सयुक्त खातेदारी एवं स्वामित्व की कृषि आराजीयात मौजा ग्राम सेमलिया प0ह0 रेनखेडा तहसील रावतभाटा में स्थित है जो जमाबंदी सम्वत 2076-79 की खाता संख्या 39 खसरा संख्या 366 रकबा 1.69है0 दर्ज रिकार्ड निहित है जो खाते मे हम वादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है उक्त आराजीयात हम प्रार्थीगण 1992 में जरिये रजिस्टर्ड खरिद मांगीलाल , मोहनलाल व मदन निवासी सेमलिया से खरीद की है तभी से उक्त आराजीयात पर प्रार्थीगण काबिज होकर काश्त कर रहे है। उक्त आराजीयात के वर्तमान में मौके पर आस पडौस में उत्तर में रास्ता व प्रतापसिंह की आराजी, दक्षिण मे किशनलाल हवलदार की आराजी, पुर्व में रतनसिंह की आराजी, पश्चिम में नारायण गुर्जर की आराजीयात है उक्त चारों पडौसियों के मध्य स्थित आराजीयात पर हम प्रार्थीगण खरीद दिनांक से काबिज होकर काश्त कर रहे है उक्त आराजीयात पर हम प्रार्थीगणों ने बडी मेहनत करके उपजाउ बनाया है तथा उक्त आराजीयात पर हम प्रार्थीगणों ने कृषि कार्य हेतु व आराजी को विकसित करने के लिए बैंक ऑफ बडौदा शाखा [illegible] कृषि ऋण ले रखा है। ग्राम रेनखेडा के विपक्षीगण संख्या 01 से 03 ने नाज [illegible] कर हमारी खातेदारी की आराजीयात पर अवैध कब्जा करने [illegible] तथा विपक्षीगण कंवरलाल पिता रामचन्द्र, देवीलाल पिता फुलचन्द [illegible] देवीलाल कन्जर सभी निवासी रेनखेडा ने एक मत होकर षडयंत्र रचकर बेईमानी से ताक [illegible] बल से हमारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.09.25 10:12:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

Scanned with CamScanner

आराजी को हथीयाने की पुरजोर कोशिश कर रहे है तथा हम वादीगणों को आराजी पर आने जाने से रोक टोक व लडाई झगडा कर मरने मारने पर आमदा हे जिन्हे रोकने का हक अधिकार प्रार्थीगणों को प्राप्त है जबकि विपक्षीगण 01 से 03 केवल ताकत व बल से ऐनकेन प्रकार से आराजीयात को हथीयाना चाहते है जिन्हे अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद्ध किया जाना आवश्यक है। अन्त में प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर वाद पत्र के निस्तारण तक विपक्षी संख्या 01 से 03 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि सदर प्रार्थना पत्र कालम संख्या दो में वर्णित आराजीयात जमाबंदी संवत 2076-79 की खाता संख्या 39 खसरा संख्या 366 रकवा 1.69हे0 दर्ज रिकार्ड आराजीयात पर विपक्षीगण संख्या 01 से 03 स्वयं अथवा अपने किसी नोकर या अधिनस्तों के माध्यम से अवैध कब्जा नहीं करे ना करावे तथा मुल वाद के निस्तारण तक मौके पर यथास्थिति कायम रखे इस कदर से प्रतिवादी संख्या 01 से 03 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंदी किया जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को तलब करने पर विपक्षी संख्या 01 से 03 की बाद तामील उपस्थित नहीं होने से दिनांक 17.10.2023 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित हुए। अप्रार्थी संख्या 04 पेरोकार सरकार एक फार्मल पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता नहीं होने से पेरोकार सरकार का जवाब न्यायालय द्वारा बंद किया गया।

प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम सेमलिया प0ह0 रेनखेडज्ञ, भू.अ.नि. बड़ोदिया, तहसील रावतभाटा की जमाबंदी सम्वत् 2076-79 की खाता संख्या 39 खसरा संख्या 366 रकबा 1.69 हेक्टर खाते दर्ज रिकॉर्ड है, जिसपर प्रार्थीगण शाश्वत रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की उक्त कृषि भूमियों पर विपक्षी संख्या 01 से 03 द्वारा नाजायत गिरोह बनाकर हमारी खातेदारी की आराजीयात पर अवैध कब्जा करने की नियत से वादीगणों को धमकियां दे रहे हे तथा विपक्षीगण कंवरलाल पिता रामचन्द्र, देवीलाल पिता फुलचन्द, रामदयाल पिता देवीलाल कन्जर सभी निवासी रेनखेडा ने एक मत होकर षडयंत्र रचकर बेईमानी से ताकत व बल से हमारी आराजी को हथीयाने की पुरजोर कोशिश कर रहे है तथा हम वादीगणों को आराजी पर आने जाने से रोक टोक व लडाई झगडा कर मरने मारने पर आमदा हे जिन्हे रोकने का हक अधिकार प्रार्थीगणों को प्राप्त है जबकि विपक्षीगण 01 से 03 केवल ताकत व बल से ऐनकेन प्रकार से आराजीयात को हथीयाना चाहते है जिन्हे अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद्ध किया जाना आवश्यक है। इस बाबत प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र को स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया उभयपक्ष की बहस पर मनन किया प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत ग्राम सेमलिया प0ह0 रेनखेडज्ञ, भू.अ.नि. बड़ोदिया, तहसील रावतभाटा की जमाबंदी सम्वत् 2076-79 की खाता संख्या 39 खसरा संख्या 366 रकबा 1.69 हेक्टर कृषि भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है तथा अप्रार्थी द्वारा न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से एकतरफा कार्यवाही होने से तथा किसी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने से अप्रार्थी का विवादित आराजीयात में किसी भी प्रकार का कोई हक प्रथमदृष्टया होना साबित नहीं होता है, जिससे सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में न होकर प्रार्थीगण के पक्ष में अधिक है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने से स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण का कब्जा यदि पाया जाता हे तो अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि जो ग्राम सेमलिया प0ह0 रेनखेडज्ञ, भू.अ.नि. बड़ोदिया, तहसील रावतभाटा की जमाबंदी सम्वत् 2076-79 की खाता संख्या 39 खसरा संख्या 366 रकबा 1.69 हेक्टर कृषि भूमि पर विपक्षीगण संख्या 01 से 03 स्वयं अथवा अपने किसी नोकर या अधिनस्तों के माध्यम से अवैध कब्जा नहीं करे ना करावे।

निर्णय आज दिनांक 18.09.2024 को सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.09.25 10:12:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (राज.)

(महेश गगोरिया) RAS
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा